संख्या-01/2022/ 86 /क.नि.प्र./26-3-2022-18(65)/98

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ **लखनऊः दिनांकः 31 जनवरी,2022**
समाज कल्याण विभाग

विषयः- सचिवालय स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के अधिष्ठान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-18/2021/397/क.नि.प्र./26-3-2021-18(65)/98 दिनांक 28 अप्रैल, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण- 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793- अनूसूचित जाति की संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद-55-मकान किराया भत्ता में रू0 23,000/- (रू0 तेइस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्बतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद में धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण के लेखा शीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का कल्याण-793-अनूसूचित जाति की संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान-55-मकान किराया भत्ता के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक की मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत होने वाले बचतों से पुनर्विनियोजन के माध्यम से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः- यथोक्त।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

संख्या-01/2022/ 86 (1)/क.नि.प्र./26-3-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अनुभाग अधिकारी (लेखा), समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त(वित्त नियंन्त्रण) अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No.26-07099/341/2019- -07-

प्रपत्र–बी0एम0–9(पार्ट–1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ– बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या– व नाम–080 व समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2021–22 (धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक	निम्नलिखित मिथियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् अवशेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2		4	5	6
"2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–793– अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता–04–सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान–52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	2.00	2.00	0.23	0.23	1.77
योग	2.00	2.00	0.23	023	1.77

लेखाशीर्षक	निम्नलिखित मिथियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+10)
7	8	9	10	11	12
"2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–793– अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता– 04–सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान–55–मकान किराया भत्ता	1.50	1.73	0.23	0.23	1.73
योग	1.50	1.73	0.23	0.25	1.73

1.स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक की मानक मद में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।

2.स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:– मकान किराया भत्ता के भुगतान के फलस्वरूप (वचनबद्ध व्यय)

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोजन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आरई0– 308/दस–2022 दि0 24-01-2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(डा. रमेश चन्द तिवारी)

अनु सचिव

समाज कल्याण विभाग।

(मूल चन्द यादव)

अनु सचिव,

वित्त विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 86 (1)/क0नि0प्र0/26–3–2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0प्रयागराज।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– आहरण एवं वितरण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– अनुभाग अधिकारी (लेखा), समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– वित्त(वित्त नियंत्रण) अनुभाग–4 उ0प्र0 शासन।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
7– बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0 शासन।
8– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर।

आज्ञा से,

(डा0 रमेश चन्द्र तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।